संख्या 21034/66/2009-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल,2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक / अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात अंशकालिक लिपिकों व **चपरासियों** को देय मानदेय की दरों का संशोधन ।

****

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 जुलाई, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या:- 21034/21/2003-रा.भा.(प्रशि.) में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को, केंद्र सरकार के उन अंशकालिक लिपिकों व चपरासियों को जिन्हें अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त हिंदी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक/ अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों के सर्वकार्यभारी अधिकारी की सहायता के लिए अवैतनिक तौर पर तैनात किया गया है, को देय मानदेय(पारिश्रमिक) की दरों में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की संस्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है। अंशकालिक लिपिकों व चपरासियों को देय मानदेय(पारिश्रमिक) की संशोधित दरें निम्न प्रकार होंगी:-

अंशकालिक लिपिक

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 29.07.2003 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	संशोधित विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र जहां पर हिंदी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक लिपिक नहीं है	285/- प्रतिमाह	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र, जहां पर हिंदी शिक्षण योजना का नियमित (पूर्णकालिक) लिपिक नहीं है	570/- प्रतिमाह
2	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र जहाँ पर हिंदी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक लिपिक है	160/- प्रतिमाह	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र, जहां पर हिंदी शिक्षण योजना का नियमित (पूर्णकालिक) लिपिक है	320/- प्रतिमाह
3	ऐसे अंशकालिक केंद्र जहाँ पर 10 से 100 तक प्रशिक्षार्थी नामांकित है।	135/- प्रतिमाह	ऐसे अंशकालिक केंद्र, जहां पर हिंदी शिक्षण योजना का नियमित (पूर्णकालिक) लिपिक तैनात नहीं है और 15 से 100 तक प्रशिक्षार्थी नामांकित है।	270/- प्रतिमाह

नोट:- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, वहां पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है। अत: क्रम सं 3 में उल्लिखित ऐसे अंशकालिक लिपिकों को 270/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा ।

<u>अंशकालिक चपरासी</u>

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 29 .07.2003 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	संशोधित विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र जहाँ हिंदी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक चपरासी नहीं है	115/- प्रतिमाह	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र जहाँ हिंदी शिक्षण योजना का नियमित चपरासी (पूर्णकालिक) नहीं है	230/- प्रतिमाह
2	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र जहाँ हिंदी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक चपरासी है|	85/- प्रतिमाह	ऐसे पूर्णकालिक केंद्र जहाँ हिंदी शिक्षण योजना का नियमित (पूर्णकालिक) चपरासी है	170/- प्रतिमाह
3	ऐसे अंशकालिक केंद्र जहाँ 10 से 100 तक प्रशीक्षार्थी नामांकित हैं	85/- प्रतिमाह	ऐसे अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र जहां पर हिंदी शिक्षण योजना का . नियमित (पूर्णकालिक) चपरासी नहीं है और 15 से 100 प्रशिक्षार्थी नामांकित है|	170/- प्रतिमाह

नोट:-पूर्वोतर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, वहां पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है| अत: क्रम सं 3 में उल्लिखित ऐसे अंशकालिक चपरासियों को 170/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा|

2. इस संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी, जो इस विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है ।

4. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी ।

(सूरज भान)
उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

1. सभी महालेखाकार ।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी - 1, हटमैंट्स, डलहौजी रोड,नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी ।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या 65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में ।
7. गार्ड फाईल ।